महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

प्रबन्ध बोर्ड की 107वीं विशेष बैठक

दिनांक

12 मार्च, 2024

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 107वीं विशेष (आकस्मिक) बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 107वीं बैठक दिनांक 12.03.2024 को अपरान्ह् 3.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति — अध्यक्ष
2. प्रो. एस.वी. शर्मा, (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष) — सदस्य
3. प्रो. शिव प्रसाद (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) — सदस्य
4. प्रो. नीरज भार्गव (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) — सदस्य
5. श्री महेश शर्मा, (प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, के प्रतिनिधि) — सदस्य
6. श्रीमती प्रतिभा चुण्डावत, (प्रमुख शासन सचिव, वित्त की प्रतिनिधि) — सदस्य
7. श्री राजकुमार राव, (प्रमुख शासन सचिव, आयोजना के प्रतिनिधि) — सदस्य
8. कुलसचिव — सदस्य सचिव

बैठक में उपस्थित नवीन नामनिर्देशित सदस्यों का कुलपति महोदय ने स्वागत किया तदुपरान्त कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 01	वित्त समिति की 43वीं बैठक दिनांक 24.02.2024 के कार्यवृत्त (बजट सहित) पर विचार कर पुष्टि करना । (बजट की प्रति पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।)	लेखा एवं वित्त
निर्णय	उक्त विशेष (आकस्मिक) बैठक का आयोजन केवल वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों का अनुमोदन करने हेतु किया गया था इसलिए सर्वसम्मति से	

	वित्त समिति की 43वीं बैठक कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 04 पर अनुशंसित वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 के संशोधित अनुमानों का अनुमोदन किया गया। वित्त समिति के कर्यवृत्त के शेष ऐसे बिन्दु जो प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किए जाने हैं, को आगामी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	
मद सं. 02	<u>उक्त के अतिरिक्त निम्न निर्णय भी लिया गया</u> :– बोर्ड को अवगत कराया कि प्रबन्ध बोर्ड की 104वीं बैठक दिनांक 22 मार्च, 2023 के निर्णय संख्या 04 पर निर्णय लिया गया था कि– "नवीन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (B.Ed. Colleges) को मान्यता देते समय विश्विद्यालय अधिनियम के परिनियम (Statutes) 17(5) की पालना सुनिश्चित की जाए। नवीन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (स्पेशल एज्युकेशन) के द्वारा उक्त अधिनियम के परिनियम 17(5) की पालना किए बिना निरीक्षण रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भिजवा दी गई, जो कि सकारात्मक थी। विश्वविद्यालय के द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालयों को पत्र प्रेषित कर अधिनियम के परिनियम 17(5) की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु इन विशिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अध्यादेश 70(A) के प्रावधानानुसार, सामान्य महाविद्यालयों की भांति 60 दिवस में कमी पूर्ति करने का समय देते हुए परीक्षा पोर्टल खोलने का निवेदन किया गया तथा इस बात पर बार बार बल दिया कि ऑर्डिनेन्स में यदि बदलाव नहीं हुआ तो ऑर्डिनेन्स का अनुपालन होना चाहिए। विश्वविद्यालय के द्वारा अध्यादेश 70(A) के बिन्दु संख्या 8(12) के प्रावधानानुसार समस्त महाविद्यालयों को कमी पूर्ति हेतु 60 दिवस का समय देते हुए नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती रही थी, परन्तु प्रबन्ध बोर्ड की 104वीं बैठक दिनांक 22 मार्च, 2023 में इस सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने के उपरान्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 17(5) की पालना नहीं किए जाने के कारण नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रदान नहीं की गई व परीक्षा पोर्टल नहीं खोला गया। इस कारण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पढने वाले विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा आवेदन–पत्र नहीं भरा जा सका। जनप्रतिनिधियों ने भी छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा पोर्टल खोलने का अनुरोध किया। अतः उक्त तथ्यों	

	पर विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिए गए :– 1. विद्यार्थी हित में इन नवीन विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के द्वारा अध्यादेश 70(A) के अनुरूप 60 दिवस में विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम (Statute) 17(5) की पालना सुनिश्चित करने सम्बन्धी शपथ पत्र मय नोटेरी प्राप्त कर नवीन अस्थाई सम्बद्धता व परीक्षा पोर्टल खोलने सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की जाए। महाविद्यालय द्वारा 60 दिवस में अधनियम के परिनियम (Statute) 17(5) की पालना नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जाए। 2. विश्वविद्यालय अयादेश 70(A) एवं अधिनियम के परिनियम (Statute) 17(5) का अध्ययन कर आवश्यक परिवर्तन/संशोधन करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया ताकि प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय व अध्यादेश 70(A) में कोई विरोधाभास (contradiction) न रहे : 1. प्रो. शिवप्रसाद 2. उप कुलसचिव (शैक्षणिक–।।)	

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

कुलपति 15.3.24

कुलसचिव